

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/फाल्गुन 25, 1939

No. 105]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2018

सं. मा. सं. प्र./56/2016/आयुक्त संवर्ग.— कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-॥) भर्ती नियम 1999 में संशोधन हेतु, एतदद्वारा केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

- 1. (1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II) भर्ती (संशोधित) नियम, 2018 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II) भर्ती नियम 1999,-
 - (क) नियम 2 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
 - "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"
 - (ख) अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद	सीधी भर्ती वाले
				अथवा	उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा
				गैरचयन पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क्षेत्रीय भविष्य	299* (2018)	ग्रुप 'क'	लेवल-11 (67,700-	चयन पद	लागू नहीं
निधि आयुक्त-॥	*कार्यभार के	गैर- अनुसचिवीय	2,08,700 रूपये)	i	
]	अनुसार		,		
	परिवर्तनीय				

	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा ।

पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थित में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा (11) सहायक भविष्य निधि आयुक्त के मूल पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। नोट:- जहां कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, कि पदोन्नित पर विचार किया जा रहा है, उनके विरुठों के नाम पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उनकी वांछित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अवधि की सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, इसमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने किनष्ठों के साथ, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नित के लिए सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण की हो।	तो उसकी संरचना (12)	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (13) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
--	---------------------	---

डॉ. वी.पी. जोय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन-III/4/असा./**47**8/20**17-**18]

नोट:- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II) भर्ती नियम, 1999 दिनांक 30 अगस्त, 1999 के जी.एस.आर. संख्या 284 के तहत भारत के राजपत्र, भाग- III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए और अंतिम बार दिनांक 14 मार्च, 2011 को संख्या मा.सं.वि./ए-1(1)2010/भ.नि./क्षे.भ.नि.आ. - II के तहत संशोधित किए गए और 02 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र, भाग- III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEE PROVIDENT FUND ORGANISATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2018

No. HRD/56/2016/RR/Commissioner cadre.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, Employees Provident Fund, hereby makes the following rules further to amend the Employees' Provident Fund Organisation (Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II) Recruitment Rules, 1999, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation (Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Provident Fund Organisation (Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II) Recruitment Rules, 1999,-
 - (a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";
 - (b) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Regional	299*(2018)	Group 'A'	Level - 11 (Rs.	Selection post	Not applicable
Provident Fund	*Subject to	(Non-	67,700 –		
Commissioner,	variation	Ministerial)	2,08,700)		
Grade-II	dependent				
	on				
	workload.				

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	Committee exists, what is its	
(11)	(12)	(13)
Officers holding the substantive post of	Departmental Promotion	Consultation with Union

Assistant Provident Fund Commissioner	Committee (for considering	Public Service
Grade with five years' regular service in the	promotion) consisting of:-	Commission is not
Grade.	(a) Central Provident	necessary."
	Fund Commissioner –	
Note Where juniors who have completed	Chairman.	
their qualifying or eligibility service are being	(b) Joint Secretary to the	·
considered for promotion, their seniors would	Government of India,	
also be considered provided they are not short	Ministry of Labour	
of the requisite qualifying or eligibility service	and Employment –	·
by more than half of such qualifying or	Member.	
eligibility service or two years, whichever is	(c) Additional Central	
less, and have successfully completed	Provident Fund	
probation period for promotion to the next	Commissioner (Hqrs)	
higher grade along with their juniors who have	– Member.	
already completed such qualifying or		
eligibility service.		

Dr. V.P. JOY, Central Provident Fund Commissioner and Secy., Central Board, Employees' Provident Fund [ADVT.-III/4/Exty./478/2017-18]

Note.- The Employees' Provident Fund Organisation (Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II) Recruitment Rules, 1999 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* number G.S.R. 284, dated the 30th August, 1999 and was last amended vide number HRD/A-1(1)2010/RR/RPFC-II dated the 14th March, 2011, published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 2nd April, 2011.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.03.16 22:35:29 +05'30'